NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

न्यायमूर्ति वर्मा मामला: एन.जे.ए.सी. पर पुनर्विचार

www.nextias.com

न्यायमूर्ति वर्मा मामला: एन.जे.ए.सी. पर पुनर्विचार

सन्दर्भ

- न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा विवाद ने न्यायिक जवाबदेही, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में विमर्श को फिर से उत्पन्न कर दिया है और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।

जस्टिस वर्मा विवाद के बारे में

- विवाद की शुरुआत न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना के बाद नकदी की अधजली बोरियाँ मिलने से हुई।
- हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जाँच प्रारंभ कर दी है, लेकिन इस मामले ने न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में व्यापक चर्चा को उत्पन्न किया है।

भारत में न्यायपालिका की नियुक्तियों का विकास

- **कॉलेजियम-पूर्व युग (1950-1973):** प्रारंभ में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217 ने राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की।
  - न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका का वर्चस्व था, तथा राष्ट्रपति (मंत्रिपरिषद् की सलाह पर) अंतिम निर्णय लेता था।
- **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981) - एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ:** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मुख्य न्यायाधीश के साथ 'परामर्श' का तात्पर्य 'सहमति' नहीं है, जिसका अर्थ है कि न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका के पास अधिक शक्ति है।
  - इसने नियुक्तियों में सरकार के अधिक हस्तक्षेप की अनुमति दी।
- **द्वितीय जज वाद (1993) -** सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ: इसने पहले जज केस को पलट दिया और नियुक्तियों में न्यायपालिका को प्राथमिकता देते हुए कॉलेजियम सिस्टम की स्थापना की।
  - इस फैसले में कहा गया कि वरिष्ठ जजों के परामर्श से सीजेआई की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी।
- **तृतीय जज केस (1998) -** राष्ट्रपति संदर्भ: कॉलेजियम की संरचना को स्पष्ट किया गया:
  - **एससी जजों की नियुक्तियाँ:** सीजेआई और चार वरिष्ठतम जज।
  - **एचसी जजों की नियुक्तियाँ:** सीजेआई और दो वरिष्ठतम जज।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी)

- इसकी स्थापना 2014 में 99वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली को न्यायपालिका के साथ कार्यपालिका को शामिल करने वाली समिति द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए की गई थी।
- इसका उद्देश्य न्यायपालिका के साथ-साथ कार्यपालिका और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करके न्यायिक नियुक्तियों को अधिक पारदर्शी बनाना था।
  - हालाँकि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में NJAC को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया, क्योंकि इसने न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया था।

एनजेएसी पर पुनर्विचार करने के मुख्य कारण

- **कॉलेजियम प्रणाली पर चिंताएँ:** पारदर्शिता का अभाव; चयन के लिए कोई स्पष्ट मानदंड नहीं।
  - नियुक्तियों में सर्वोच्च न्यायालय की अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया पक्षपात के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करती है।
- **विधायी सहमति और न्यायिक अतिक्रमण:** NJAC को संसद में लगभग सर्वसम्मति से पारित किया गया था और 16 राज्य विधानसभाओं द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, जो सुधार की आवश्यकता पर व्यापक सहमति को दर्शाता है।
  - यह तर्क दिया गया कि कॉलेजियम प्रणाली (NJAC के बाद) की बहाली न्यायिक अतिक्रमण का एक उदाहरण थी।
- **न्यायिक नियुक्तियों में देरी:** लंबी, गुप्त कॉलेजियम प्रक्रिया रिक्तियों को भरने में देरी करती है, जिससे न्यायिक दक्षता प्रभावित होती है।
  - कार्यपालिका-न्यायपालिका तनाव; सरकार नामों को मंजूरी देने में देरी करती है।
- **विविधता का अभाव:** वर्तमान प्रणाली की आलोचना समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों और महिलाओं से पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करने के लिए की गई है।
- **लंबित मामलों को संबोधित करना:** भारतीय न्यायालयों में 4.4 करोड़ से अधिक लंबित मामलों के साथ, न्यायिक रिक्तियों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - एक अच्छी तरह से काम करने वाला एनजेएसी नियुक्तियों को सुव्यवस्थित करने, तेजी से चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने और रिक्तियों को अधिक कुशलता से भरने में मदद कर सकता है।
- **स्वतंत्रता और निगरानी को संतुलित करना:** एक संशोधित एनजेएसी यह सुनिश्चित कर सकता है कि कार्यकारी भागीदारी न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता न करे।
  - इसे न्यायपालिका-प्रधान निकाय को बनाए रखते हुए कार्यकारी से सीमित और संरचित भागीदारी की अनुमति देकर हासिल किया जा सकता

आगे की राह

- **वैश्विक प्रथाएँ:** कई लोकतंत्रों में न्यायिक नियुक्तियों में न्यायिक और कार्यकारी इनपुट का मिश्रण शामिल होता है।
  - यूनाइटेड किंगडम में न्यायिक नियुक्ति आयोग (JAC) है, जो योग्यता-आधारित नियुक्तियाँ सुनिश्चित करने वाला एक स्वतंत्र आयोग है।
  - NJAC पर पुनर्विचार करने से भारत की प्रणाली को घरेलू चिंताओं को संबोधित करते हुए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ जोड़ा जा सकता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग (ICJ) ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें 'न्यायिक परिषद' की स्थापना के लिए एक नए कानून की वकालत की गई, जिसका उद्देश्य पारदर्शी, पूर्वनिर्धारित और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर न्यायिक नियुक्तियाँ और स्थानांतरण करना है।
- **NJAC की संरचना को संशोधित करना:** कार्यकारी को अत्यधिक प्रभाव देने के बजाय, संशोधित NJAC में संतुलित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका, कार्यकारी और नागरिक समाज के सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।
- **न्यायिक प्रधानता सुनिश्चित करना:** यद्यपि कार्यकारी को एक भूमिका दी जा सकती है, न्यायिक स्वतंत्रता सर्वोपरि रहनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयोग में न्यायाधीशों का बहुमत हो।

- **पारदर्शिता तंत्र:** पक्षपात से बचने के लिए नियुक्तियों, योग्यता-आधारित चयन और अस्वीकृति के कारणों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश सार्वजनिक किए जाने चाहिए।
- **समय पर नियुक्तियाँ:** देरी को रोकने के लिए सिफारिशों और अनुमोदनों के लिए एक निर्धारित समय-सीमा अनिवार्य होनी चाहिए।
- **समावेश और विविधता:** न्यायपालिका को समाज का अधिक प्रतिनिधि बनाने के लिए विविध पृष्ठभूमि से न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- न्यायमूर्ति वर्मा का मामला भारत में न्यायिक सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। एनजेएसी पर पुनर्विचार करने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की जा सकती है।
- चूँकि विमर्श जारी है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जनता का विश्वास बहाल करने और भारत की न्यायिक प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व करने का अवसर है।

Source: IE

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) पर पुनर्विचार करने से न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जा सकता है, साथ ही कॉलेजियम प्रणाली की अस्पष्टता के बारे में चिंताओं का समाधान भी किया जा सकता है?

■■■■